भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1041

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

समता न्याय केंद्र

1041. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :

श्री राहुल रमेश शेवाले :

श्री चंद्र शेखर साहू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में समता न्याय केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) ओडिशा और महाराष्ट्र सहित देश में इस समय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने समता न्याय केन्द्र चल रहे हैं ;

(ग) आज की तिथि तक देश में समता न्याय केन्द्रों के माध्यम से ओडिशा और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ;

(घ) क्या सरकार का देश में वंचित समुदायों की सहायता के

लिए और न्याय केंद्र खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011 के अधीन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स (एपीएसडब्लूडीपी) के सहयोग से विधिक सेवा क्लिनिक

खोला है जो अनन्य रुप से उभयलिंगी समुदाय को विधिक सेवा प्रदान करता है, जिसे 'समता न्याय केन्द्र' का नाम दिया गया है ।

इस केन्द्र का उद्देश्य उभलिंगियों को परामर्श देना तथा उनकी विधिक शिकायतों को दूर करने में सहायता करना है । इस प्रयोजन को लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा आवश्यकता आधारित समनुदेशन पर पैनल वकील और पैरा लीगल स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। एक समावेशी माहौल में उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों के भीतर से पैरा लीगल स्वयंसेवक के माध्यम से विधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास है । उक्त केन्द्र उभयलिंगी व्यक्तियों के विभिन्न अधिकारों और हकदारियों के संबंध में विधिक जागरुकता भी फैला रहा है । चंडीगढ़ के अतिरिक्त, तमिलनाडु के पांच जिलों अर्थात् नामक्कल, तिरुवल्लुर, तिरुनेलवेली, मदुरै और तंजावुर में उभयलिंगी समुदाय के प्रधानता वाले स्थानों पर ऐसे पांच विशिष्ट विधिक सेवा क्लिनिक भी स्थापित किए गए हैं । जून, 2021 से जून 2022 के दौरान इन क्लिनिकों की सेवा से लाभान्वित उभयलिंगियों का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जिला	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	265
2.	तमिलनाडु	नामक्कल	174
3.		तिरुवल्लुर	522
4.		तिरुनेलवेली	243
5.		मदुरै	143
6.		तंजावुर	198
		कुल	1,545

(घ) और (ड.) : वर्तमान में, अन्य स्थानों पर ऐसी विशिष्ट विधिक सेवा क्लिनिकों को खोलने की कोई योजना नहीं हैं ।

****